O/o CE (EITC)
Receipt No. 6520
Date 29 NOV 2019
DGM (IT) / SE (O)
FE.....Web.....
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 11/2019 दिनांक 03.10.2019

अपीलार्थी

Shri Abhinay Shukla
Near Famliy Planning Office,
Seepat Road,
Nandishawar Shiv Mandir Gali,
Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

विरूद्ध

प्रतिअपीलार्थी

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 27/11/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री अभिनय शुक्ला, बिलासपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 11/2019 दिनांक 03.10.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अभिनय शुक्ला ने आवेदन दिनांकित निरंक के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित जानकारी चाही गई है:–

Kindly provide the details of marks obtained in computer Based Test (CBT) and Interview round of all candidates with name who are shortlisted for interview round.

जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में जानकारी उपलब्ध करायी गई है, जिससे वे असंतुष्ट है, अतएव उनके द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(3) उक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–11/2019/24 दिनांक 16.10.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्धारित तिथि 31.10.2019 को सांय 4.00 बजे कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री अभिनय शुक्ला को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी श्री शुक्ला अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 25.11.2019 को सांय 4:00 बजे निर्धारित की गई, जिसकी सूचना पत्र क्रमांक 26 दिनांक 05.11.2019 के माध्यम से उभयपक्षों को दी गई। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतएव उक्त जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। यह भी लेख है कि प्रत्येक उम्मीदवार को उनके द्वारा अंकित किये गये उत्तर एवं सही उत्तर उनके पंजीकृत ई–मेल पर परीक्षा के 03 दिवस बाद ही उपलब्ध करा दिये गये थे। उक्ताशय के वस्तुस्थिति से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 06.09.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

(5) सूचना का अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रमुख तर्क कि उन्हें वांछित जानकारी के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है, एवं दिनांक 26.09.2019 को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की गई है। अतएव जो जानकारी मुझे उपलब्ध करायी गई है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मुझें वांछित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि कंड़िका 02/टीप में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को उनके द्वारा दिये गये पते पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 06.09.2019 के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत करायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) (प्रशिक्षु) पदों पर भर्ती तत्कालीन समयावधि में प्रक्रियाधीन था। अतएव जानकारी का प्रकटन विधि संगत नही था। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वांछित जानकारी परव्यक्ति (तृतीय पक्ष) से संबंधित गोपनीय जानकारी है, जो कि व्यापक लोकहित में समाहित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार "व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि प्रत्येक उम्मीदवार को उनके द्वारा अंकित किये गये उत्तर एवं सही उत्तर उनके पंजीकृत ई–मेल पर परीक्षा के 03 दिवस बाद ही उपलब्ध करा दिये गये थे। **वर्तमान परिस्थिति में आवेदक चाहें तो उन्हें उक्त भर्ती परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको की जानकारी (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा) एवं उनके वर्ग के कट ऑफ मार्क्स की जानकारी प्रदान की जा सकती है, जिस पर आवेदक द्वारा सहमति व्यक्त की गई। तदुपरांत आवेदक श्री शुक्ला को अवगत कराया गया कि उन्हें असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.)–प्रशिक्षु पद के लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में कुल 77.50 अंक प्राप्त हुए हैं तथा असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.)–प्रशिक्षु पद पर अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में कुल 80.75 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे आवेदक द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।**

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप एवं कंडिका 5 (iii) में दिये गये तर्क स्वीकार योग्य है, जो अपीलार्थी के शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं। अतएव प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 11/2019 दिनांक 03.10..2019) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –11/2019/ 29 रायपुर, दिनांक 27/11/2019

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. **Shri Abhinay Shukla Near Famliy Planning Office, Seepat Road, Nandishawar Shiv Mandir Gali, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)** को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700